



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrce.food.rajasthan.gov.in, गेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.वै./2018/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 89(9)खा.वि./उ.सं./03/जयपुर दिनांक 01.06.2005 एवं राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 89(9)खा.वि./उ.सं./03/जयपुर दिनांक 28.07.2010 की पालना में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर की सर्किट बैंच, जोधपुर में दिनांक 06.02.2006 से एवं क्रोटा, वीकानेर एवं उदयपुर में दिनांक 15.03.2011 से कार्य कर रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89 (9)एफडी/सीपी/2003 जयपुर दिनांक 18.05.2012 की अनुपालना में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर की सर्किट बैंच, भरतपुर में दिनांक 18.09.2023 से कार्य करेंगी। जिनमें भरतपुर संभाग के सम्बन्धित जिलों (भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी) के राज्य आयोग से सम्बन्धित उद्भूत होने वाले मूल प्रकरणों/अपीलों तथा समय-समय पर विशिष्ट आदेशों द्वारा स्थानान्तरित मामलों की सुनवाई की जावेगी। उक्त जिलों से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 18.09.2023 से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, भरतपुर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

sd/-

(अशोक कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.वै./2018/1956-1968 दिनांक: 08.09.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन, एफ ब्लॉक जनरल पूल आफिस काम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली 110023
- 2 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 6 जिलाधीश/संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
- 7 निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर (राज.)।
- 8 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त (राज.)।
- 9 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य आयोग, सर्किट बैंच, भरतपुर के आयोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा राज्य आयोग की सर्किट बैंच के आयोजन के संबंध में राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस नोट प्रकाशित करावें।
- 10 अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोशियेशन, जयपुर।
- 11 अध्यक्ष, दी बार एसोशियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 12 अध्यक्ष, दी बार एसोशियेशन, जिला न्यायालय, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी।
- 13 रक्षित पत्रावली।

2.3.2

(अशोक कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार